संख्याः-421/एक-10-2019-33(221)/2011 टीसी

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः: दिनांक : 30 अगस्त, 2019

विषय-वित्तीय वर्ष 2019-20 में उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा क्षमता संवर्धन हेतु आपदा न्यूनीकरण विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-373 रा0आ0प्र0प्रा0/2019-20 दिनांक-08.08.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20 में क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित किये जाने हेतु धनराशि रू0 68.25 लाख स्वीकृत/आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा क्षमता संवर्धन हेतु आपदा न्यूनीकरण विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु **धनराशि रू0 68.25 लाख (रूपये अड़सठ लाख पच्चीस हजार मात्र)** की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाने हेतु जेम पोर्टल पर नियमानुसार निविदा आमंत्रित करते हुए कार्यवाही किये जाने में प्राथमिकता प्रदान की जाए।

(2) उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक **"2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-10-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42-अन्य व्यय"** के नामे डाला जायेगा।

(3) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

Bri.G.O.103

Scanned by CamScanner

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलबब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
विशेष सचिव

संख्याः-421 **(1)/एक-10-2019-33(221)/2011 टीसी तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
3- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय, बापू भवन, लखनऊ।
4- कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कपिल कुमार कटियार)
अनु सचिव

Scanned by CamScanner